दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/362
दिनांक: 03.08.2026

Plexconcil/COA के सभी सदस्यों को

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: अर्जेंट: प्लास्टिक प्रोडक्ट्स (HS 3915–3926) के लिए इंडिया-कनाडा CEPA नेगोशिएशन पर इंडस्ट्री से इनपुट चाहिए – 4 अगस्त 2026 तक जवाब दें

भारत सरकार के केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स डिपार्टमेंट (DCPC) ने PLEXCONCIL को बताया है कि **इंडिया-कनाडा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA)** के लिए बातचीत अभी फास्ट-ट्रैक मोड में है।

इस बारे में, डिपार्टमेंट ने **HS कोड 3915–3926 (प्लास्टिक आर्टिकल्स, जिसमें वेस्ट और स्क्रैप शामिल हैं) से जुड़ी 285 टैरिफ लाइनों** (अटैच्ड) पर इंडस्ट्री से इनपुट मांगे हैं । डिपार्टमेंट ने खास तौर पर स्टेकहोल्डर्स से नीचे दी गई बातों पर अपने कमेंट्स देने के लिए कहा है:

1. **अगर ये टैरिफ लाइनें इंडिया-कनाडा CEPA के तहत धीरे-धीरे खोली जाती हैं, तो टैरिफ कम करने/खत्म करने के लिए सही फेज़-आउट पीरियड क्या होना चाहिए?**
2. **इन टैरिफ लाइनों के लिए कनाडा को क्या कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा?** ***जहाँ तक हो सके, कृपया प्रोडक्ट-स्पेसिफिक डिटेल्स दें।***

साथ में दिए गए डॉक्यूमेंट (https://membership.plasticsep c.org/mails_images/20260803023 035.xlsx) में वे शॉर्ट फ़ॉर्म हैं जो आमतौर पर **फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA)/CEPA टैरिफ़ शेड्यूल** में इस्तेमाल होते हैं , यह बताने के लिए कि बातचीत या लागू करने के दौरान टैरिफ़ लाइन को कैसे ट्रीट किया जाता है, वही आपके रेफरेंस के लिए नीचे दिया गया है:-

कोड	अर्थ	स्पष्टीकरण
ईआईएफ	बल में प्रवेश	FTA/CEPA लागू होने पर (यानी लागू होने के पहले दिन) टैरिफ तुरंत खत्म हो जाता है।
ई10	10 वर्षों में उन्मूलन	कस्टम ड्यूटी धीरे-धीरे कम होती जाती है और एग्रीमेंट लागू होने की तारीख से 10 साल के समय में ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह के कोड में E5, E7, E15, वगैरह शामिल हो सकते हैं।
ईएल	बहिष्करण सूची / बहिष्कृत रेखा	टैरिफ लाइन को टैरिफ लिबरलाइज़ेशन से बाहर रखा गया है। एग्रीमेंट के तहत कोई प्रेफरेंशियल टैरिफ कंसेशन नहीं दिया जाता है।
एक्स	छोड़ा गया	यह बताता है कि टैरिफ लाइन टैरिफ में कमी के लिए कवर नहीं है और नॉर्मल MFN (मोस्ट फेवर्ड नेशन) टैरिफ के अधीन है। कई एग्रीमेंट में, X और EL का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह किया जाता है।
एक्ससी	अपवाद / बहिष्कृत श्रेणी	इसका मतलब है कि टैरिफ लाइन को एक एक्सेप्शन माना जाता है और इसे टैरिफ कमिटमेंट से बाहर रखा गया है या यह खास शर्तों के तहत है। इसका सही मतलब खास एग्रीमेंट के टैरिफ शेड्यूल पर निर्भर करता है।

बहिष्करण	टैरिफ प्रतिबद्धताओं से बहिष्करण	प्रोडक्ट को टैरिफ़ रियायतों के दायरे से बाहर रखा जाता है; इम्पोर्ट करने वाला देश उस प्रोडक्ट पर अपना मौजूदा टैरिफ़ बनाए रखता है।

विभाग 05 अगस्त 2026 (बुधवार) को **रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के संयुक्त सचिव (पेट्रोरसायन) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करेगा।**

क्योंकि यह मामला टाइम-सेंसिटिव है और प्लास्टिक सेक्टर पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे अपने कमेंट्स, परेशानियां और सुझाव दें, साथ ही सपोर्टिंग डेटा या उदाहरण भी दें, अगर कोई हो तो।

कृपया अपने इनपुट **PLEXCONCIL को 04 अगस्त 2026 (मंगलवार), शाम 4:00 बजे तक** nilotpal@plexconcil.org **; bharti@plexconcil.org पर** भेजें , ताकि हम इंडस्ट्री के सभी विचारों को इकट्ठा करके तय समय में सरकार को जमा कर सकें।

आपका समय पर जवाब यह पक्का करने में मदद करेगा कि बातचीत के दौरान भारतीय प्लास्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हितों का ठीक से ध्यान रखा जाए।

सम्मान,

भारती परावे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
PLEXCONCIL